रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 22, 1972/माघ 2, 1893

No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 22, 1972/ MAGHA 2, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

ORDER

New Delhi, the 21st January 1972

S.O. 63(E).—Whereas in the opinion of the Central Government it is necessary and expedient so to do for securing the defence of India and for maintaining supplies and services essential to the life of the community;

And whereas any strike or lockout in any service in the State of Kerala connected with the supply of electric energy to the public or with the generation, storage or transmission of electric energy for the purpose of such supply and in the works connected with the IDIKKI Hydro-electric Project would prejudicially affect the defence of India and for maintaining supplies and services essential to the life of the community, it is necessary and expedient to prevent strikes in the said Service;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 118 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby prohibits, with immediate effect, strike or lockout, in connection with any industrial dispute, in the said service for a period of six months.

[No. F. S. 42025/1/72-LRI.]

R. ANANDAKRISHNA, Jt. Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1972

का० आ० 63(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार की राय में भारत की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए और समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

और यतः केरल राज्य में जनता को विद्युत ऊर्जा के प्रदाय से या ऐसे प्रदाय के प्रयोजन के लिए विद्युत ऊर्जा के जनन, भण्डारकरण या संचरण से सम्बन्धित किसी सेवा में और इडुक्की जलविद्युत परियोजना से सम्बन्धित संकर्म में कोई हड़ताल या तालाबन्दी भारत की रक्षा पर और समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाओं को बनाए रखने के लिए, प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इसलिए उक्त सेवा में हड़ताल को रोकना आवश्यक और समीचीन है,

अतः, अब, भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उक्त सेवा में किसी भी औद्योगिक विवाद से सम्बन्धित हड़ताल या तालाबन्दी को तुरन्त से छह मास की अवधि के लिए प्रतिषिद्ध करता है।

[सं० का० एस०-42025/1/72-एल०आर०आई०]

आर० आनन्दाकृष्ण, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972